प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

प्र.स.– 06 / 2022
दायर दिनांक– 02.11.2022
निर्णय दिनांक :– 16.05.2023

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

(प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प ग्राम पंचायत सिंगवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्रीमती मिथलेश मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 06 / 2022 (GCMS 2023/1)

प्रकरण दायर दिनांक :– 02.11.2022

1. बंशी पुत्र मोती
2. बीला पुत्री मोती

जाति जोगी निवासी सिंगवाड़ा तहसील लवाण जिला दौसा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण।
2. किस्तूरी पत्नि मोती
3. फैली पुत्र मोती
4. रामवतार पुत्र मोती

जाति जोगी निवासी सिंगवाड़ा तहसील लवाण जिला दौसा।

(अप्रार्थीण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट बाबत राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती हेतु।

उपस्थिति :– प्राथीगण संख्या–1
अप्रार्थीगण संख्या 1–4

:: निर्णय :: दिनांक : 16.05.2023

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है –

यह है कि प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है व एक ही गांव के रहने वाले है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:11 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

[illegible]

3. यह है कि ग्राम [illegible] के वर्तमान आराजी खसरा संख्या [illegible] रकबा [illegible] [illegible] किस्तूरी पत्नि मोती नाथ, [illegible] पुत्र मोती नाथ, रामवतार पुत्र मोती नाथ [illegible] दर्ज रिकार्ड है।

यह है कि [illegible] नामान्तरकरण संख्या [illegible] दिनांक [illegible] को तस्दीक किया गया था। उक्त नामान्तरकरण से [illegible] किस्तूरी पत्नि मोती, बंशी, फौली, रामवतार पिसरान मोती, बीला पुत्री मोती के नाम से तस्दीक कर खातेदारी दी गई थी। [illegible] नामान्तरकरण [illegible] है तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी में [illegible] किया गया वह नामान्तरकरण को [illegible] नहीं किया गया है।

4. यह है कि इसके पश्चात जो जमाबंदी संवत 2064 से 2067 बनाई गई जिसमें सहवन व भूलवश बंशी पुत्र मोती नाथ व बीला पुत्री मोती नाथ का अंकन दर्ज होने से रह गया तथा गलती से केवल मात्र कस्तूरी बेवा मोती नाथ, फौली, रामवतार पिसरान मोती नाथ के नाम ही दर्ज कर दिया गया जबकि नामान्तरकरण बंशी पुत्र मोती नाथ व बीला पुत्री मोती नाथ के नाम से तस्दीक हुआ है तो जो जमाबंदी 2064 से 2067 बनाई गई उसमें गलती से व सहवन से बीला व बंशी का नाम खातेदारी में दर्ज होने से रह गया।

5. यह है कि उक्त गलती महज सहवन से भूलवश हुई है जो एक लिपिकीय त्रुटि की तारीफ में आता है जिसे श्रीमान को धारा 136 एल आर एक्ट के तहत किसी भी समय दुरूस्त करने का अधिकार है।

6. यह है कि तहसीलदार लवाण को आदेश फरमाया जावे कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किस्तुरी पत्नि मोती नाथ, फौली, रामवतार पिसरान मोती नाथ के साथ साथ बंशी पुत्र मोती नाथ व बीला पुत्री मोती नाथ का नाम भी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती करने का [illegible] हित में आवश्यक है।

7. यह है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसील [illegible] करने से इंकार कर दिया इसलिए प्रार्थना पत्र करना आवश्यक हुआ।

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:11 IST
Reason: SelfAttested

8. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 लेण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का वैध प्रतिनिधि है उसके विरूद्व कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का है तथा तत्काल सहायता वांछनीय है इसलिए न्यायालय की अनुमति से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

9. यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 विवादित भूमि के सहखातेदार है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। उनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

10. यह है कि श्रीमान को धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहज दुरूस्ती करने का अधिकार है तथा फरीकेन व विवादित भूमि न्यायालय क्षेत्र में है इसलिए न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बंशी पुत्र मोती व बीला पुत्री मोती का नाम किस्तुरी पत्नि मोती व फैली, रामवतार पुत्रान मोती नाथ के साथ साथ बतौर खातेदार नाम अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार लवाण को आदेश देने की कृपा करे।

प्रार्थीगणो द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम—1956 न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान—2023 कैम्प स्थल ग्राम पंचायत सिंगवाडा में रखा गया। तहसीलदार लवाण से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लवाण ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ. /2023/196 दिनांक 16.05.2023 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रिकार्ड अनुसार कथन किया है कि ग्राम सिंगवाडा के नामान्तरकरण संख्या 391 दिनांक 19.01.2007 में मृतक मोती पुत्र नाथू जाति जोगी सा. देह का नामान्तरकरण मृतक के वारिसान किस्तूरी पत्नि मोती, बंशी, फैली, रामोतार पि. मोती, बीला पुत्री मोती जाति जोगी सा. खातेदार के नाम दर्ज हुआ। ग्राम सिंगवाडा की जामबंदी संवत 2064—67 खाता संख्या 43 में मृतक मोती के वारिसान किस्तूरी पत्नि मोती नाथ, फैलीराम, रामोतार पि. मोती नाथ जाति जोगी के नाम ही जमाबंदी में अमल दरामद हुआ जिसमे भूलवश से मृतक के शेष वारिसान बंशी पुत्र मोती एवं बीला पुत्री मोती का नाम तत्समय जमाबंदी संवत 2064—2067 खाता संख्या 43 में अमल [illegible] होने से रह गया था। अतः मृतक के शेष रहे वारिसान बंशी पुत्र मोती एवं बीला पुत्री [illegible] के नाम आगामी जमाबंदी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:11 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.– 06 / 2022
दायर दिनांक– 02.11.2022
निर्णय दिनांक – 16.05.2023

अमल दरामद एवं शुद्व किये जाने की अभिशंषा की जाती है। प्रकरण में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नही हैं।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, सह खातेदार किस्तूरी पत्नि मोती, फैली पुत्र मोती, रामवतार पुत्र मोती ने उपस्थित होकर मौखिक कथन किया कि हमारी ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण स्थित आराजी में बंशी पुत्र मोती एवं बीला पुत्री मोती का नाम राजस्व रिकार्ड में जोडा जाता है तो उनको किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है। नामान्तरकरण संख्या 391 दिनांक 19.02.2007 में मृतक मोती पुत्र नाथू हिस्सा 1/2 कौम जोगी सा. देह खातेदार का विरासत का नामान्तरकरण किस्तूरी पत्नि मोती, बंशी, फैली, रामोवतार पि. मोती, बीला पुत्री मोती जाति जोगी सा देह खातेदार दर्ज किया गया। जमाबंदी ग्राम सिंगवाडा तहसील दौसा संवत 2064–2067 खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 1165/2, 1166, 1167, 1168, 1170 कुल किता– 5 कुल रकबा 0.65 हैक्टयर में मृतक मोती पुत्र नाथू जाति जोगी के वारिसान किस्तूरी पत्नि मोती नाथ, फैलीराम, रामोतार पि. मोती नाथ जाति जोगी सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। ग्राम सिंगवाडा तहसील दौसा की जमाबंदी संवत 2064–2067 के खाता संख्या 43 में मृतक मोती पुत्र नाथू हिस्सा 1/2 कौम जोगी के शेष रहे वारिसान बंशी पुत्र मोती एवं बीला पुत्री बंशी का नाम जमाबंदी में सहवन से दर्ज होने से रह गया था। उक्त सभी तथ्यों के अनुसार सिंगवाडा की जमाबन्दी संवत 2064–67 के खात संख्या 43 में मृतक मोती पुत्र नाथू जाति जोगी के शेष रहे वारिसान बंशी पुत्र मोती एवं बीला पुत्री बंशी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट. स्वीकार किया जाकर, तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण की आगामी जमाबंदी में मृतक मोती पुत्र नाथू हिस्सा 1/2 कौम जोगी सा. देह खातेदार के वारिसान किस्तूरी पत्नि मोती, फैली, रामोवतार पि. मोती, जाति जोगी सा देह पत्नि दर्ज के साथ–साथ मृतक के शेष रहे वारिसान बंशी पुत्र मोती एवं बीला पुत्री मोती का नाम भी राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:11 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2023

प्र.सं.:– 06 / 2022
दायर दिनांक:– 02.11.2022
निर्णय दिनांक :– 16.05.2023

दर्ज किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कैम्प ग्राम पंचायत सिंगवाड़ा पर मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मिथलेश मीणा(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:11 IST
Reason: SelfAttested